

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : गितेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 20/2018 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 01.05.2018
G.C.M.S. NO. :- 2018/00077

कंकू पत्नि शंकर जी जटिया उम्र वयस्क, पेशा काश्त, निवासी खारोली की झुंपडियां, पटवार हल्का सिंहपुर, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-अपीलांत

बनाम

सरकार जरिये पटवारी हल्का सिंहपुर, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय एवं आदेश तहसीलदार कपासन प्रकरण संख्या 12/2018 निर्णय दिनांक 28.03.2018

- उपस्थिति:-1- श्री अम्बालाल ओड़, अधिवक्ता अपीलांत
2- श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 24.08.2022

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कपासन ने पटवार हल्का सिंहपुर की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम खारोलों की झुंपडियां की आराजी नम्बर 274 रकबा 0.47 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर किस्म चरनोट भूमि पर अपीलांत का बबूल की छडियां डाल कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही दिनांक 28.03.2018 को अपीलांत के विरुद्ध बेदखली, लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित करने तथा 01 माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का निर्णय एवं आदेश पारित किया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य



कंकू पत्नि शंकर जी जटिया निवासी खारोली की झुंपडियां तहसील कपासन बनाम सरकार जरिये पटवारी हल्का सिंहपुर

है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, कपासन से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील कपासन के पटवार हल्का सिंहपुर की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम खारोलों की झुंपडियां की आराजी संख्या 274 रकबा 0.47 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर किस्म चरनोट भूमि पर अपीलांट द्वारा बबूल की छडियां डाल कर अतिक्रमण एवं नाजायज कब्जा मानते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये, अपीलांट के विरुद्ध बेदखली, लगान का 50 गुणा शास्ति एवं 01 माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश दिनांक 28.03.2018 पारित कर दिया जो अवैधानिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व विधिवत् सुनवाई करने हेतु एवं अपना पक्ष रखने, साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया जिससे अधीनस्थ न्यायालय का पारित आदेश निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का की साक्ष्य दर्ज की गई उसमें अपीलांट को किसी प्रकार सुनवाई का अवसर नहीं दिया न ही पटवार हल्का से जिरह का अवसर दिया अपीलांट अपनी तरफ से कोई दस्तावेज भी प्रदर्श नहीं करा सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौखिक कथन के आधार पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण मानने में गंभीर कानूनी भूल की है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का सिविल कारावास व जुर्माने का आदेश निरस्त योग्य है। अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.03.2018 निरस्त करते हुए अपीलांट को दोषमुक्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि चरनोट है। चरनोट में किये गये अतिक्रमण को नियमन योग्य नहीं पाये जाने तथा लगातार कब्जे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली, शास्ति एवं 01 माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया जो विधि सम्मत् है।



कंकू पत्नि शंकर जी जटिया निवासी खारोली की झुंपडियां तहसील कपासन बनाम सरकार जरिये पटवारी हल्का सिंहपुर

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट को दर्ज रजिस्टर कर अपीलांत को सूचना पत्र जारी करने पर अपीलांत स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुई तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.03.2018 पर अपीलांत की अंगूठा निशानी मौजूद है। अतः अपीलांत का कथन कि मुझे सुनवाई, साक्ष्य एवं सबूत पेश करने तथा पटवार हल्का से जिरह का अवसर नहीं दिया मानने योग्य नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत ने स्वयं अतिक्रमण करना स्वीकार किया जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.03.2018 से होती है जिस पर अपीलांत के स्वयं की अंगूठा निशानी मौजूद है तथा अपीलांत को अपना कब्जा हटाने हेतु निर्देशित करने पर अपीलांत द्वारा कब्जा हटाने से मना करने से उक्त आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।

पटवारी हल्का के बयान एवं रिपोर्ट से अपीलान्त के पश्चात्वर्ती/लगातार कब्जे की पुष्टि होती है। चूंकि प्रश्नगत भूमि चरनोट/चारागाह होकर मवेशियान के चराई के उपयोग की है, अपीलान्त द्वारा ग्राम खारोलों की झुंपडिया के आराजी नम्बर 274 रकबा 0.47 में से 0.01 है. भूमि पर अतिक्रमण करने से पश्चात्वर्ती/लगातार कब्जा पाये जाने के आधार पर तथा प्रचलित नियमों के अन्तर्गत चारागाह भूमि पर किया गया अतिक्रमण नियमन योग्य नहीं होने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखल करने, लगान का 50 गुणा शारित आरोपित करने तथा 01 माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है जो विधि सम्मत् होकर इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.03.2018 यथावत रखा जाता है।

“निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।”

(गितेश श्री मालवीय)

